

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07-01-2020

थाना भवानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0स0 03/2021 धारा 376 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में श्री रविंद्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 03/2021 धारा 376 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त को जरिए मुखबिर प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम भानपुर रानी मन्दिर के पास पुलिया से आज सुबह 09.25 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.अभिलाष पुत्र राम दयाल साकिन रठैना थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 32 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह थाना भवानी गंज जिला सि0नगर ।
2. उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.का0 दिवाकर चौरसिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4.का0 राकेश कुमार यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5.हे0का0 चालक वीरेन्द्र यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07-01-2020

11 ग्राम हेरोइन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन व श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के नेतृत्व में SSB और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में श्री सुमित हरित, सहायक कमांडेंट SSB बढनी तथा उप निरीक्षक श्री विक्रम अजीत राय मय हमराह पुलिस बल के साथ आज दिनांक 07.01.2021 को प्रातः करीब 07:45 बजे एक व्यक्ति को इंडो -नेपाल बॉर्डर पिलर संख्या 568 के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 11 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना ढेबरुआ मु.अ.सं. संख्या: 03/2021 धारा 8/22/23 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

- इस्माइल पठान पुत्र अब्दुल करीम पठान निवासी ग्राम लक्ष्मी नगर थाना कृष्णानगर जनपद तौलिहवा (नेपाल राष्ट्र)।
पंजीकृत अभियोग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.सहायक कमा० श्री सुमित हरित, SSB
- 2.उ०नि०सुनील कुमार, SSB
3. ASI श्री सुनील कुमार पोखरियाल,ल SSB
4. हे०का०सतीश सिंह तोमर, SSB
- 5.कान्स संजय रावत, SSB
- 6.कान्स रोशन कुमार, SSB
- 7.उपनिरीक्षक श्री विक्रम अजीत राय, प्रभारी चौकी बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07-01-2020**नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री अरुण चंद, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07-01-2021 को श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी मय हमराह टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2021 धारा 363, 366 भादवि0 3(2)5A एससी/एसटी एक्ट से संबंधित नामजद अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र मनीराम यादव निवासी खरिका खास थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को समय करीब 9:00 बजे रोडवेज बस स्टैंड बांसी से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- प्रदीप यादव पुत्र मनीराम निवासी खरी का खास थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मु0 आरक्षी शिव कुमार सरोज, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
3. हेड कांस्टेबल पवन मौर्या, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
4. हेड कांस्टेबल फूलचंद मौर्य, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07-01-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन तथा श्री राधेश्याम राय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.01.2021 को रात्रि गश्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, रोकथाम के दौरान मुखबीर द्वारा प्राप्त सूचना पर महदेवा बाजार पीएचसी कैम्पस के पास चोरी करने के उद्देश्य से मौजूद दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए पैंट के दाहिने फेट से एक अदद चाकू नाजायज एवं दाहिने हाथ में लिए झोला से एक अदद सड़सी लोहे की पेंचदार, पुरानी इस्तेमाली एक टार्च पुराना, एक अदद पेंचकस, एक अदद लोहे का सरिया बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कौशल कुमार पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम पिपरहवा टोला भीमापार थाना व जिला सिद्धार्थनगर बताया जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए पैंट के दाहिने फेट से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। मौके पर एक अदद मोटरसाइकिल UP55AC-0301 हीरो एच-एफ डीलक्स बरामद हुआ। मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर राहुल उपरोक्त ने बताया कि मोटरसाइकिल मेरी है तथा क्षेत्र में घूमकर चोरी करने की बात कबूल की जिस आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -13/2021 धारा -401 भादवि0 तथा मु0अ0सं0-14,15/2021 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी का विवरण

- 1- 02 अदद नाजायज चाकू।
- 2- एक अदद झोला से एक अदद सड़सी लोहे की पेंचदार, पुरानी इस्तेमाली एक टार्च पुराना, एक अदद पेंचकस, एक अदद लोहे का सरिया।
- 3- एक अदद मोटरसाइकिल UP 55AC-0301 हीरो एच-एफ डीलक्स।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता

- 1- राहुल वर्मा पुत्र उमेश वर्मा निवासी ग्राम पिपरहवा टोला भीमापार थाना व जिला सिद्धार्थनगर।
- 2- कौशल कुमार पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम पिपरहवा टोला भीमापार थाना व जिला सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1- उ0नि0 श्री अजय सिंह, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- आरक्षी फैज खान थाना को0 व जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- आरक्षी विनोद कुमार थाना को0 व जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07-01-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्माटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-07-01-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 371 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 114 वाहनों का चालान कर ₹ 1,07,600/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।